

न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा मुरादाबाद ।

दण्डवाद सं०-151 / 2018

राज्य बनाम. यामीन आदि ।

आरोप

मैं प्रीति मोगा न्यायिक मजिस्ट्रेट ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद आप अभियुक्तगण यामीन, सलीम व सुभाष जाटव पर निम्नलिखित आरोप से विरचित करती हूँ :-

01- यह कि दिनांक 03 / 04.10.17 को मध्यरात्रि स्थान मौ. जमनावाला निकट गायत्री मंदिर ठाकुरद्वारा, थाना-ठाकुरद्वारा जिला- मुरादाबाद में आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा का घर का सामान चोरी किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा०द०सं० की धारा-380 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

02-यह कि उपरोक्त दिनांक व समय को उक्त चोरी किया गया सामान पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आपके कब्जे से बरामद हुए। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा०द०सं० की धारा-411 के तहत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

मैं एतद्वारा निर्देश देती हूँ कि उक्त आरोप पर आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा ।

दिनांक: 01.11.19

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजि०
ठाकुरद्वारा ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढ़ कर सुनाये व समझाये गये जिससे उन्होने इंकार किया एवं विचारण चाहा ।

दिनांक: 01.11.19

(प्रीति मोगा)
सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजि०
ठाकुरद्वारा ।